

Share Department, Finance Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, NEW DELHI-110075
Tel Nos : 011-28073025 E-mail : hosd@pnb.co.in

SDFD/SE/61/63

13th November, 2017

Script Code : PNB	Script Code : 532461
The Assistant Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	The Dy. General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001

Sir,

**Reg.: EGM of the Bank to be held on Monday 04.12.2017 - Notice of E-Voting –
Publication in Newspapers.**

We are attaching herewith Notice of E- voting published in Business Standard newspaper (English & Hindi both) on 11.11.2017 in respect of EGM of the Bank to be held on 04.12.2017, in terms of Rule 20 of Companies (Management & administration) Rules 2014.

The Notice of E-voting will also be displayed on Bank's website www.pnbindia.in

Thanking you

Yours sincerely,

(PK Varshney)
Chief Manager

Encl: A/a



Share Department, Finance Division, H.O. Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110 075
E-mail Id: hosd@pnb.co.in, Tel # 011-28073025.

NOTICE OF E-VOTING

1. Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Bank will be held on Monday, 4th December, 2017 at 10.00 AM Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the business as set forth in the notice dated 02nd November, 2017.
2. The Bank has completed dispatch of aforesaid notice in Physical Form to the shareholders whose email id is not registered with the Bank/depositories on 10th November, 2017 and email to the shareholders whose email id registered with the Bank/depositories on 8th November, 2017.
3. The notice is also displayed in our website www.pnbindia.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 27th November, 2017 may cast their vote electronically, in terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, through electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) from place other than the venue of EGM (remote e-voting). All members are hereby informed that:
 - a. The business as set forth in the notice of the EGM may be transacted through voting by electronic means. Remote e-voting is optional.
 - b. The remote e-voting shall commence on 01st December, 2017 at 09.00 AM.
 - c. The remote e-voting shall end on 03rd December, 2017 at 05.00 PM and shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
5. Any person who acquires the shares of the Bank and become member of the Bank, after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. 27th November, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at www.evoting.nsdl.com or RTA. If a member is already registered with NSDL for e-voting earlier he can use his existing user ID and password.
6. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date 27th November, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
7. Members may note that once the vote on a resolution is cast by the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. The members who have not cast vote through remote e-voting, facility for voting through Tablet based electronic voting system shall be made available at the venue of the Meeting by NSDL. After verification of DP ID/Client ID or Folio No. along with signature, the e-vote key will be issued at the time of registration to shareholders at the venue of the general meeting.
9. A Member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or voting through Tablet at the EGM. If a Member casts vote by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and later shall be treated as invalid.
10. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting as well as in the email sent to the Members by NSDL. In case the shareholder has any queries or issues regarding e-voting, he/she may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no. 1800-222-590 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, Telephone No. 022-24894545 of National Securities Depository Limited.
11. It is strongly recommended not to share the individual password with any other person and to take utmost care to keep it confidential.

The results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges within the prescribed time limit after the EGM.

Place: New Delhi
Date: 10.11.2017

For Punjab National Bank
(Balbir Singh)
Company Secretary

शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्र.का. प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110 075
ई-मेल आईडी hosd@pnb.co.in, टेली : 011-28073025

ई-वोटिंग की सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 02 नवंबर, 2017 की सूचना में उल्लिखित कार्य को निष्पादित करने के लिए बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) सोमवार, 4 दिसंबर, 2017 प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, ऑडीटोरियम, केंद्रीय स्टाफ कॉलेज, 8 अंडरहिल रोड, सिविल लाईन, दिल्ली-110054 को आयोजित की जाएगी।
- बैंक द्वारा उपर्युक्त सूचना की भौतिक प्रति उन शेयरधारकों को, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत नहीं है, उन्हें 10 नवंबर 2017 तक भौतिक रूप से भेज दिया गया है और उन शेयरधारकों को जिनकी ई-मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत है, 08 नवंबर, 2017 तक को ई-मेल कर दी गई है।
- सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है।
- ये सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 27 नवंबर, 2017 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, सेबी (सूचीकरण अपेक्षाएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन के विनियम 44 के अनुसार, ईजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) स्थल के अलावा अन्य स्थान राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:
 - क. ईजीएम की सूचना में उल्लिखित कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।
 - ख. रिमोट ई-वोटिंग 01 दिसंबर, 2017 को प्रातरु 9.00 बजे से शुरू होगी।
 - ग. रिमोट ई-वोटिंग 03 दिसंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात् एनएसडीएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।
- कोई भी सदस्य जिसने ईजीएम सूचना डिस्मैस होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हो और बैंक का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् दिनांक 27 नवंबर, 2017 को शेयर धारित करता है, तो वह www.evoting.nsdl.com या आरटीए पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- कोई व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि दिनांक 27 नवंबर, 2017 को सदस्य या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए त्रुटिपूर्ण रजिस्टर में दर्ज है केवल वही व्यक्ति मतदान द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।
- सदस्य नोट करें कि संकल्प पर एक बार अपना वोट देने के बाद उसे बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।
- वह सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपी आईडी / क्लॉउट आईडी या फोर्सो संख्या के स्थापन के पश्चात्, ई-वोटिंग की (key) आम बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।
- कोई भी सदस्य वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या टैबलेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में अपना वोट डाल सकता है। तब तक सदस्य दोनों मोडों के माध्यम से अपना वोट देता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और अन्य माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया असाधारण आम बैठक की सूचना में उपलब्ध है तथा इसे एनएसडीएल द्वारा सदस्यों को ई-मेल कर दिया गया है। ई-वोटिंग के संबंध में यदि शेयरधारक कोई पूछताछ या मामला उठाना चाहता है तो वह शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकता है और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्युअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर भी उपलब्ध है या टोल फ्री नं. 1800-222-990 या सुश्री पल्लवी मात्र, उपा प्रबंधक, राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के फोन नं. 022-24994545 से संपर्क कर सकता है।
- इसकी दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी रखें।
- ई-वोटिंग का परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और ईजीएम के पश्चात् निर्धारित समयावधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर भी सूचित किया जाएगा।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.11.2017

कृत पंजाब नैशनल बैंक
बलवीर सिंह
(कम्पनी सचिव)